न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 148/ 2020 **दायर तारीख :– 29-10-2020**

1. रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री धूणीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नंबर 11, सजनावतों का मौहल्ला, विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थित : श्री बालकृष्ण शर्मा , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–04.03.2021

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1006 के हाल खसरा नंबर 1670/0.07, 1773/0.27, 1774/0.42, 1774/0.42, 1775/0.37, 1775/0.37, 1780/0.42, 1782/0.10, 1801/0.20, 1801/0.20, 2383/0.12, 2383/0.12, 2387/0.05, 2390/0.26, 4989/1768/0.24, 4990/1783/0.10, 4990/1783/0.10 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की विरासत का नामान्तकरण संख्या 535 दिनांक 18.12.1996 के द्वारा प्रार्थी व उसकी माता व भाई के नाम खोला गया, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल के बजाय पप्पू पुत्र धूणीलाल अंकित कर दिया गया, जो कि लिपिकीय त्रुटि है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात शिक्षा संबंधी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल शर्मा ही अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1006 के हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नंबर 1670/0.07, 1773/0.27, 1774/0.42, 1774/0.42, 1775/0.37, 1775/0.37, 1780/0.42, 1782/0.10, 1801/0.20, 1801/0.20, 2383/0.12, 2383/0.12, 2387/0.05, 2390/0.26, 4989/1768/0.24, 4990/1783/0.10, 4990/1783/0.10 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर में की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र धूणीलाल के स्थान पर रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल शर्मा दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम विराटनगर खाता संख्या 1006 संवत् 2073–2076, नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम विराटनगर नामान्तकरण संख्या 535, फोटो प्रति वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 1997 की अंकतालिका, फोटो प्रति प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फोटो प्रति प्रवेशिका परीक्षा 1987 की अंकतालिका, फोटो प्रति एन0सी0सी प्रमाण पत्र, फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पैन कार्ड, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र, नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1006 के हाल खसरा नंबर 1670/0.07, 1773/0.27, 1774/0.42, 1774/0.42, 1775/0.37, 1775/0.37, 1780/0.42, 1782/0.10, 1801/0.20, 1801/0.20, 2383/0.12, 2383/0.12, 2387/0.05, 2390/0.26, 4989/1768/0.24, 4990/1783/0.10, 4990/1783/0.10 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि प्रार्थी का नाम रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल का नाम गलत इन्द्राज करते हुए पप्पू पुत्र धूणीलाल अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल ही है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से पप्पू पुत्र धूणीलाल दर्ज है, जो गलत दर्ज है,,यह भी कि प्रार्थी रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड 4667–4676–3660 आदि में वास्तविक नाम रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल है। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1006 के हाल खसरा नंबर 1670/0.07, 1773/0.27, 1774/0.42, 1774/0.42, 1775/0.37, 1775/0.37, 1780/0.42, 1782/0.10, 1801/0.20, 1801/0.20, 2383/0.12, 2383/0.12, 2387/0.05, 2390/0.26, 4989/1768/0.24, 4990/1783/0.10, 4990/1783/0.10 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र धूणीलाल के स्थान पर रमेश कुमार शर्मा पुत्र धूणीलाल शर्मा दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.03.2021 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)